Research Inspiration
(Peer-reviewed, Open Access and indexed)
Journal home page: www.researchinspiration.com
ISSN: 2455-443X, Vol. 10, Issue-I, December 2024

भारत में राजनीतिक विकास का प्रश्नः एक समीक्षा

(अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति–जनजाति के प्रतिनिधियों की सहभागिता के विशेष संदर्भ में)

The Question of Political Development in India: A Review

(With Special Reference to the Participation of Representatives from Other Backward Classes, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes)

Dr. Pramila Yadav[a,*]

[a]*Guest Faculty (Political Science), Prime Minister's College of Excellence Government Shrimant Madhavrao Sidhiya Post Graduate College, Shivpuri, Jiwaji University, Gwalior, M.P.(India)*

KEYWORDS

भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति का विकास, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सहभागिता।

ABSTRACT

भारत में राजनीति का उद्धभव सदियों पुराना माना जाता है। क्योंकि राजनीति के तथ्य रामायण एवं महाभारत के काल में भी देखने को मिलते है। जब भारत में अंग्रजों का आगमन हुआ तब से भारत में राजनीति का विकास तेजी से हुआ है, जिसमें 18वी शताब्दी का अवलोकन करने पर भारतीय राजनीति के प्रमाण पाये गये है, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रिटिश इण्डिया सोसाईटी इत्यादि। जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राजनीति का ढॉचा तैयार किया गया और केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

भारत में आजादी से पहले एवं संविधान के लागू होने के समय राजनीति में वही लोग जाना पंसद करते थे जो देश व समाज की सेवा सच्चे मन से करना चाहते थे। लेकिन धीरे–धीरे जैसे–जैसे समय ने अपनी करवट बदली तो राजनीति में बदलाव देखने को मिले है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ऐसा प्रतीत है कि राजनीति केवल भाई–भतीजे वाद तक सीमित हो गई है। जो राजनेता एक बार मंत्री पद हॉसिल कर लेते है वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों को राजनीति में इस उददेश्य से प्रवेश करवाते है कि उनके बाद उनके परिवार का ही कोई सदस्य मंत्री पद को धारण करता रहे। इसलिए भारतीय राजनीति में आज भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों की सहभागिता न के बराबर है। अधिकांशतः अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के पास आज भी पर्याप्त आर्थिक सम्पन्नता नही है जिसके कारण चुनाव में होने वाले भारी भरकम खर्चे का वहन वे नही कर पाते है। दूसरा कारण ये भी है कि वे भाई–भतीजे वाद का सामना करने में भी सक्षम नही होते है। शोधार्थी के द्वारा इस शोध पत्र के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की भारतीय राजनीति में सहभागिता में कमी के कारणों एवं उनके उपायों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

परिचय–

भारत में राजनीति का विकास भले ही सदियों पुराना हो लेकिन समाज के सभी वर्गों की सहभागिता में समानता देखने को नही मिलती है। हमारे संविधान में राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जिनको पालन करने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। इस

* **Corresponding author**
E-mail: ydvpramila11@gmail.com (Dr. Pramila Yadav). https://orcid.org/0009-0005-5939-5312
DOI: https://doi.org/10.53724/inspiration/v10n1.03
Received 10th Oct. 2024; Accepted 5th Nov. 2024
Available online 30th Dec. 2024
2455-443X /©2024 The Journal. Published by Research Inspiration (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

अध्याय के अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है[1] कि ''राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा''। इस प्रकार राज्य पिछड़े वर्गों के अर्थ संबंधी तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करेगा तथा लम्बी अवधि में समाज को समतामय बनाने का कर्तव्य पूरा करेगा। देश के अजाद होने के बाद लम्बे अरसे के गुजर जाने के बाद भी न तो समाज में समतापूर्ण वातावरण आ पाया और न कमजोर व गरीब लोगों की कमियाँ दूर हो पाई है। लेकिन एक प्रयास अवश्य देखने का मिलता है कि कमजोर वर्ग में शामिल हैः अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, तथा अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देना चाहिये। लेकिन ये कोई नही बोलता कि इनके व समाज के अन्य वर्गों की बुनियादी सुविधायें सरकार को निःशुल्क करने की आवश्यकता है, जैसे कि शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार की गारण्टी, निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा इत्यादि।

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय राजनीति

भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये समूह भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं और देश की राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ रही है।[2] लेकिन अभी तक ये जातियाँ अपना लक्ष्य जो कि सामान्य जातियों के समान समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का है, प्राप्त नही कर पाई है। भारत सरकार के द्वारा संविधान के प्रारम्भ से इन समूहों के लिए आरक्षण नीति लागू की है, जिसके तहत उन्हें शिक्षा, नौकरियों, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया जाता है।[3] इस नीति का उद्देश्य इन समूहों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। हाल के वर्षों में, एससी, एसटी, और ओबीसी समूहों ने राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन वह उच्च स्तरीय नही है। हालाँकि कई राजनीतिक दलों ने इन समूहों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं और इन समूहों के नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। फिर भी, इन समूहों के सामने अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। उन्हें अक्सर राजनीतिक प्रक्रिया में कम प्रतिनिधित्व और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, आरक्षण नीति को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। कुल मिलाकर, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग समूह भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।

भारतीय राजनीति में जातियों की भूमिका

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के संबंध में श्री जय प्रकाश नारायण का कहना था कि ''जाति ही भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण दल है।'' जाति व्यवस्था भारतीय समाज की रीढ़ है। भारत में जाति के व्यापक परिप्रेक्ष्य पर रोशनी डालते हुए मैं. मजूमदार लिखते हैं कि ''जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है''।[4] सामान्य तौर पर भारत जातियों एवं समुदायों का गण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की आवो–हवा में भी जाति नामक जहरीली गैस घुल गई हो, यहाँ तक कि अन्य धर्म भी जैसे मुसलिम और ईसाई भी इसके चपेट में है। भारतीय सामाजिक ढाँचे का अवलोकन करने के बाद **हट्टन महोदय** ने लिखा है कि ''भारत में जाति व्यवस्था के सम्यक् अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता हैं।'' **डॉ. सक्सेना** का ऐसा मानना है कि ''जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है, जिससे हिन्दुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है।'' हिन्दुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी पक्ष का अध्ययन जाति विश्लेषण के बिना अधूरा है।[5]

भारतीय राजनीति का अवलोकन करने पर देखा जाता है

कि जाति प्रथा एवं समानता के तथ्यों का तात्त्विक अध्ययन किये बिना भारतीय मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार तथा मतदान व्यवहार का पता लगाना संभव नहीं है।[6]

स्वतंत्र भारत की संसदीय राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उनके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए चुनाव आयोग की देखरेख एवं अनुशंसा में चुनावी राजनीति की शुरूआत लगभग 25 अक्टूबर, 1951 को हुई। संवैधानिक प्रावधानों का अनुसरण कर देश में पहली बार मतदाताओं ने अपने ''वयस्क मताधिकार'' का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को जिताने के लिए ''मतदान'' किया। आम चुनाव की राजनीतिक प्रक्रिया जैसे ही आरंभ हुई व्यवस्था में मौजूद जातीय संस्थाएँ अचानक से सक्रिय हो गयीं, क्योंकि जातिगत संस्थाओं की सभी इकाइयों में संख्या बल के अनुरूप मतों का समुच्चय था और संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए भारी संख्या में एक–एक इकाई के अन्तर्गत एकत्रित ये मत अत्यन्त मूल्यवान् थे। धीरे–धीरे जातियों में राजनीतिक चेतना का आगाज हो गया। इस समय में जातियों का धीरे–धीरे राजनीतिकरण होता गया। जातियाँ आधारित राजनीतिक चेतना और अपनी जनसंख्या के बलबूते पर सत्ता निर्माण एवं सत्ता–प्राप्ति हेतु आधारतत्त्व और आधार माध्यम की भूमिका निभाने लगीं। भारतीय राजनीति में जाति की उल्लेखनीय भूमिका को निम्नांकित संदर्भों में देखा जा सकता है।[7]

निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण एवं सीमांकन में जाति की भूमिका भारत में नवनिर्मित संवैधानिक प्रावधानों के तहत केन्द्र एवं राज्य स्तर पर विधायिका के गठन के लिए जो उपबंध प्रस्तुत किये गये, उसमें निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण एवं सीमांकन में जाति व्यवस्था के महत्त्व को आरक्षण के माध्यम से रेखांकित किया गया। लोकसभा एवं विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में उम्मीदवारों के चयन एंव जीत के मद्देनज़र जातितत्त्व को प्राथमिक स्तर पर महत्त्व दिया गया। इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 330[8] में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी है। संविधान की अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का स्पष्टीकरण करता है और अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने से संबद्ध है।[9] ये समस्त संवैधानिक उपबंध नवस्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में जाति के महत्त्व को दर्शाता है। इन उपबंधों को संविधान में प्रमुखता से स्थान देने का तात्पर्य समाज के पिछड़े पद दलित वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया की मुख्यधारा में शामिल करना था। पैंतालिसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1980 द्वारा संसद् एवं विधानसभाओं में इनको दिये जाने वाले आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ाया गया। 62वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा पुनः इस दिये जाने वाले आरक्षण की अवधि को आगे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में दी जाने वाली सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाकर 2010 तक कर दिया गया है।[10] हालांकि संविधान के 334 अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा एवं विधानसभाओं में आंग्ल–भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था संविधान लागू होने के 50 वर्षों के बाद समाप्त हो जायेगी। आजादी के बाद विगत पैंसठ

वर्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों द्वारा पर्याप्त प्रगति नही हो पायी है, आज भी ये वर्ग अपना वर्चस्व स्थापित करने में पीछे है चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। कुछ चुन्निदा लोगों को छोड़कर सभी विकास पूर्ण रूप से नही हो पाया है, यह भी एक प्रमुख कारण है कि यह चुनावी राजनीति में जाति व्यवस्था की प्रधानता और जातीय मतों को अपने पक्ष में करने की होड़ की वजह से कोई भी राजनीतिक दल वोट की राजनीति और मत–प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए आगे भी इस प्रावधान को समाप्त नही करेगें। निर्वाचन क्षेत्रों के गठन पर जाति का इतना ज्यादा दबाव है कि आज भी लोकसभा की 543 सीटों में से सामान्य कोटे में सिर्फ 423 सीटें हैं; शेष में 79 अनुसूचित जाति के लिए और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जातिगत आरक्षण का यही प्रतिशत राज्य की विधानसभाओं पर भी लागू है।[11] लेकिन विकास की दृष्टि से देखा जाये तो आज भी अन्य जातियों की अपेक्षा इनका विकास न के बराबर ही है।

विभिन्न प्रदेशों की राजनीति में जातियों की भूमिका

भारत के विभिन्न प्रदेशों की राजनीति के परिदृश्य का अवलोकन करते हैं तो प्रदेश अलग–अलग हो सकते है लेकिन परिस्थियाँ एक जैसी देखने को मिलती है। कुछ प्रदेशों की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित है–

1. मध्यप्रदेश की राजनीति में जातियों की भूमिका

मध्य प्रदेश की राजनीति के क्षेत्र में जातिगत ऑकड़ें अपनी एक अहम भूमिका निभाते है। आज भी प्रदेश में चुनावी राजनीति की बात करें तो दो सबसे बड़े अहम मुद्दे सामने आते हैं, जिसमें से एक है जाति और दूसरा है धर्म। मध्यप्रदेश में बनने वाली सरकार कौन सी होगी इसके आँकड़े जाति के आधार पर ही तय होते हैं। लोकनीति के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में अब भी लगभग 65 प्रतिशत व्यक्ति प्रत्याशी की जाति को देखकर ही वोट करते हैं।[12] मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 21 प्रतिशत और अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 16 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं।

मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का सुनहरा समय 1980 के दशक को माना जाता है जब प्रदेश में श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का गठन हुआ तब एक प्रशंसनीय एवं महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। जिसमें ''मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग'' का गठन किया गया था तथा आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन पर पिछड़ा वर्ग संचालनालय की स्थापना तथा पृथक पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की स्थापना, 1982–83 में पिछड़े वर्ग की सूची को मान्यता प्रदान की गई थी।[13]

मध्य प्रदेश विधानसभा में विभिन्न आरक्षित सीटों की संख्या

मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित हैः

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटेंः 35

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटेंः 47

मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 230 है। इन आरक्षित सीटों के अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विधानसभा में कोई विशेष सीटें आरक्षित नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन में अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीट आरक्षित है जो कुल 230 सीटों में से 16.52 प्रतिशत है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जो कुल 230 सीटों में से 20.43 प्रतिशत है।

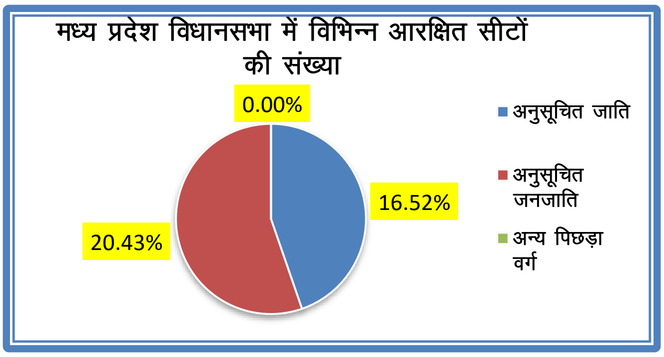

चित्र सं. 01

2. उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों की भूमिका[14]

उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित है:

अनुसूचित जाति के लिए: 84 सीटें

अनुसूचित जनजाति के लिए: 0 सीटें

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए: 87 सीटें

उत्तर प्रदेश में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, इसलिए अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जो कुल 403 सीटों में से 20.84 प्रतिशत है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 87 सीटें आरक्षित है जो कि कुल 403 सीटों में से 21.58 प्रतिशत है।

यह आरक्षण उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

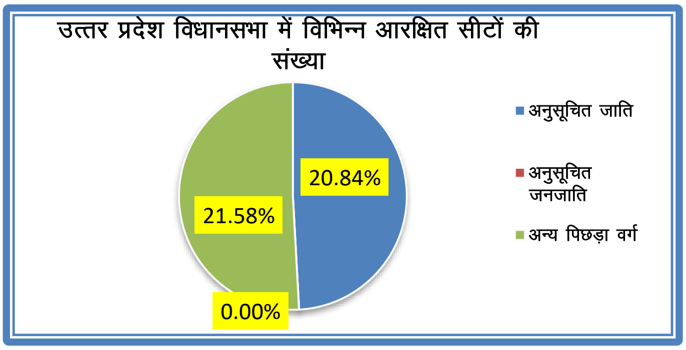

चित्र सं. 02

3. राजस्थान की राजनीति में जातियों की भूमिका

राजस्थान विधानसभा में विभिन्न आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित है[15]–

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें: 34

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें: 25

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य स्तर पर कोई विशिष्ट सीट आरक्षित नहीं की जाती है; बल्कि यह आरक्षण राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों के चयन में देखा जाता है।

राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं, जो कुल 200 सीटों में से 17.00 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है जो कि कुल 200 सीटों में से 12.5 प्रतिशत है।

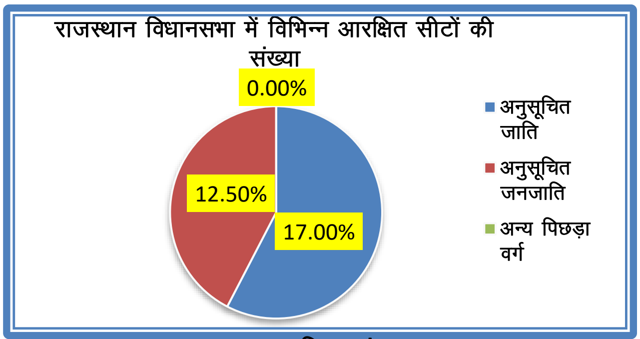

चित्र सं. 03

4. बिहार की राजनीति में जातियों की भूमिका–

बिहार विधानसभा में विभिन्न आरक्षित सीटों की संख्या इस प्रकार है[16]–

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें: 38

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें: 2

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य स्तर पर विशिष्ट सीटें आरक्षित नहीं की जाती हैं। हालाँकि, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपाय कर सकते हैं।

बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं, जो कुल 243 सीटों में से 15.63 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है जो कि कुल 243 सीटों में से 0.82 प्रतिशत है।

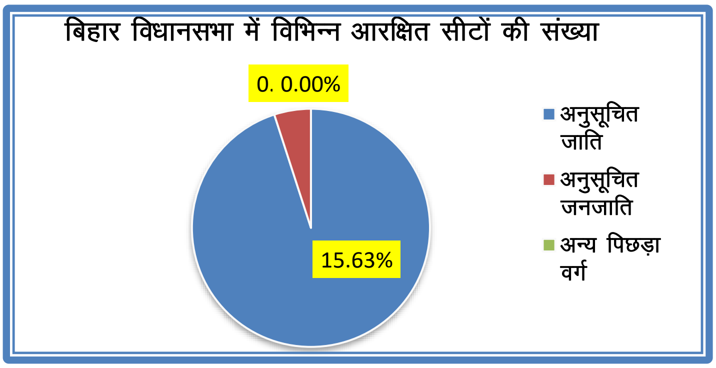

चित्र सं. 04

5. झारखण्ड की राजनीति में जातियों की भूमिका–

झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित है–

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें: 9

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें: 28[17]

44 सीटें सामान्य श्रेणी के लिए हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए झारखंड विधानसभा में कोई विशिष्ट सीटें आरक्षित नहीं हैं।[18] हालाँकि, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय इस वर्ग का ध्यान रख सकते हैं।

झारखण्ड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 09 सीटें आरक्षित हैं, जो कुल 81 सीटों में से 11.11 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित है जो कि कुल 81 सीटों में से 34.56 प्रतिशत है।[19]

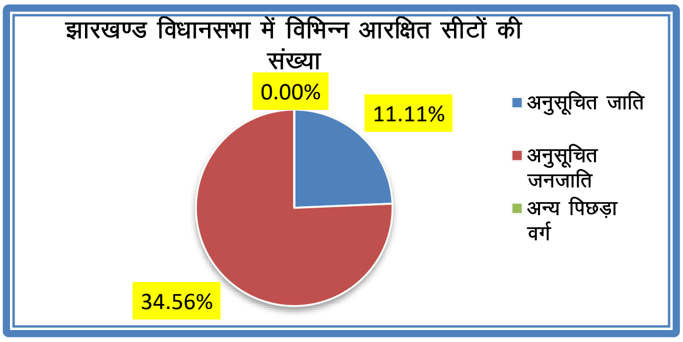

चित्र सं. 05

6. उत्तराखंड की राजनीति में जातियों की भूमिका–

उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निम्नलिखित है[20]–

1. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें: 13
2. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें: 2

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कोई विशिष्ट सीटें आरक्षित नहीं हैं। हालाँकि, समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय इस वर्ग का ध्यान रख सकते हैं।

उत्तराखण्ड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं, जो कुल 70 सीटों में से 18.57 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के लिए 02 सीटें आरक्षित है जो कि कुल 70 सीटों में से 02.85 प्रतिशत है।

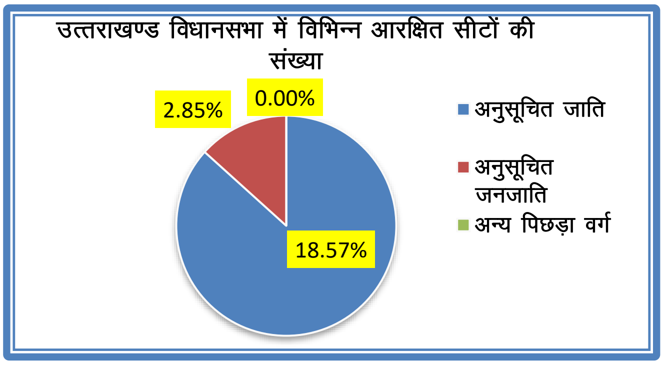

चित्र सं. 06

राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों की सहभागिता के कारण–

1. अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के साथ शोषण, अत्याचारों की पराकाष्ठा ने राजनतिक प्रतिनिधियों की सहभागिता में बढ़ोत्तरी की।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा अन्य जातियों के व्यक्तियों की समाज में छवि को देखकर अपने आप को उनके जैसे बनने की होड़ के कारण।

राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों की सहभागिता की आवश्यकता–

जातियों के विकास के लिए आवश्यक है कि उनके बीच में से कोई व्यक्ति यदि उच्च पद या कोई राजनीतिक पद प्राप्त कर लेता है, तो उसको देखकर अन्य व्यक्ति भी आकर्षित होते है। जिससे इन जातियों में प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की सहभागिता की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, और इसके कई कारण हैंः

1. समानता और न्याय का सिद्धांत–

अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति की सहभागिता सुनिश्चित करने से भारतीय संविधान के समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का पालन होता है। यह समाज के उन वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहे हैं।

2. समाज की विविधता का प्रतिनिधित्व–

भारत एक बहु–जातीय, बहु–धार्मिक, और बहु–सांस्कृतिक देश है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व राजनीति में उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, और आर्थिक जरूरतों और समस्याओं को सामने लाने का काम करता है। यह नीतियों और कार्यक्रमों को इन वर्गों के अनुकूल बनाने में मदद करता है।

3. समावेशी विकास

राजनीतिक प्रतिनिधित्व से सुनिश्चित होता है कि सभी वर्गों की आवाज़ें नीति निर्माण की प्रक्रिया में सुनी जाएं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की सहभागिता से उन योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलता है, जो इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मदद करते हैं, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।

4. सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास–

राजनीति में सहभागिता इन वर्गों के व्यक्तियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। यह नेतृत्व कौशल का विकास करती है और युवाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है, जिससे भविष्य में और अधिक प्रतिनिधि इन वर्गों से आ सकें।

5. समान अवसर और समता–

आरक्षण और प्रतिनिधित्व के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समान अवसर मिलते हैं। यह उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में आने का अवसर प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय–प्रक्रियाओं में उनका भी समान योगदान हो।

6. जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना करना–

भारत में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता एक बड़ी समस्या रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की राजनीति में सहभागिता इन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में मदद करता है।

7. नीतिगत सुधार और जागरूकता

अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधि अपनी वास्तविक समस्याओं, चिंताओं, और आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी सहभागिता से नीतिगत सुधार संभव होते हैं जो सीधे इन समुदायों की भलाई पर लक्षित होते हैं। इसके अलावा, यह व्यापक सामाजिक जागरूकता और समर्थन भी पैदा करता है।

8. प्रेरणा और आत्म–सम्मान में वृद्धि–

राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की उपस्थिति से इन समुदायों के सदस्यों में आत्म–सम्मान की भावना बढ़ती है। यह उन्हें प्रेरित करता है कि वे भी समाज के महत्वपूर्ण निर्णयों में हिस्सा ले सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं।

9. समान नागरिकता की भावना का सुदृढ़ीकरण–

राजनीतिक प्रतिनिधित्व से यह संदेश जाता है कि सभी भारतीय नागरिक समान हैं, और किसी भी जाति, धर्म, या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्षः

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान के आरंभ में निर्धारित कर दी गई थी तथा उनके उत्थान के लिए सतत् प्रयास के लिए कई घोषणायें की गई लेकिन ये केवल कपोल कल्पना मात्र बन कर रह गई। अक्सर देखा जाता है कि भले ही जातियों के सदस्य कहीं पर नौकरी पा लें, व्यवसाय कर लें फिर भी इनके साथ जातिगत भेदीभाव देखने को मिलते है। कई बार सार्वजनिक अवसरों पर जातिगत जिल्लत भी उठानी पड़ जाती है। भले ही भारतीय संविधान में प्रावधान किये गये कि छुआछूत को दूर किया जाये लेकिन लोगों के मन में आज भी ये जड़े इतनी गहरी है कि इनको समाप्त करना न तो राजनीतिक दलों के हाथ में है न ही कानून के। अब ऐसा प्रतीत होता है कि समय ही समस्या का समाधान है। राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की सहभागिता न केवल सामाजिक न्याय और समावेशिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक सशक्त और विविध लोकतंत्र के निर्माण में भी योगदान देती है। यह न केवल समाज के कमजोर वर्गों के लिए, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी एक समृद्ध और समता–समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।

आवश्यक सुझाव

राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए जा सकते हैं। ये सुझाव न केवल इन वर्गों के सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में भी सहायक होंगे–

1. अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाना या समान स्तर पर बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ये समुदाय अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें।
2. लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, और स्थानीय निकायों में इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की समीक्षा और आवश्यकता के अनुसार सुधार करना चाहिए।
3. राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक ढांचे में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह दलों के शीर्ष पदों से लेकर स्थानीय स्तर तक होना चाहिए।
4. दलों के टिकट वितरण में इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए ताकि ये समुदाय अपनी आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठा सकें।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं के लिए नेतृत्व और राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। यह उन्हें राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार करेगा।

6. कार्यशालाओं, सेमिनारों, और सम्मेलनों के माध्यम से इन समुदायों के सदस्यों में राजनीतिक जागरूकता और कौशल का विकास करना चाहिए।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लोगों के लिए शिक्षा के अवसरों में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वे राजनीतिक प्रक्रिया और अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें।
8. सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नागरिक अधिकारों, और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के महत्व पर केंद्रित हों।
9. इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार को विशेष योजनाएं बनानी चाहिए, जो उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बना सकें।
10. महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सफल राजनीतिक नेताओं की कहानियों को सामने लाया जाना चाहिए, ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें।
12. उनके संघर्ष, उपलब्धियों, और योगदान को समाज में प्रचारित किया जाए ताकि समुदाय के अन्य सदस्य भी राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेरित हों।
13. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति समुदायों के मुद्दों और चिंताओं को उजागर किया जा सकता है।
14. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से समुदायों के बीच राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
15. गैर–सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
16. इन संगठनों के सहयोग से समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची–

---

[1] पाण्डेय, डॉ. जय नारायण (2014). अनुच्छेद 46. भारतीय संविधान. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, पृ. 438 और 439।

[2] मंडल आयोग, (1980). भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, नई दिल्लीः भारत सरकार।

[3] वही।

[4] शर्मा, प्रो. सतीश (2024). पॉलिटिकल सोसियोलॉजी, https://magadhmahilacollege.org/wp-content/uploads/2020/04/Political-Sociology-BA-Hons-Paper-VII-3.pdf, अवलोकन दिनाँकः 05/09/2024।

[5] वही।

[6] भारतीय संसद, (1993). 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन, भारत सरकार।

[7] शर्मा, प्रो. सतीश (2024). पॉलिटिकल सोसियोलॉजी, https://magadhmahilacollege.org/wp-content/uploads/2020/04/Political-Sociology-BA-Hons-Paper-VII-3.pdf, अवलोकन दिनाँकः 05/09/2024।

[8] भारतीय संविधान, (1950). अनुच्छेद 330ः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। भारत सरकार।

[9] भारतीय संविधान, (1950). अनुच्छेद 330, 332 और 333ः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। भारत सरकार।

[10] कुमार, एस. (2020). भारतीय राजनीति में अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमिका, नई दिल्लीः प्रकाशन हाउस।

[11] वही।

[12] समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थान के उपाय (2024), पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेशः https://bccomm.mp.gov.in/OBC1/scan0015.pdf, अवलोकन दिनॉकः 04/09/2024।

[13] वही।

[14] उत्तर प्रदेश विधान सभा में कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा आरक्षित सीटों की संख्याः https://upvidhansabhaproceedings.gov.in/hi_IN/web/guest/reserved-seat, अवलोकन दिनॉकः 04/09/2024।

[15] राजस्थान विधान सभाः https://assembly.rajasthan.gov.in/ अवलोकन दिनाँकः 04/09/2024।

[16] बिहार विधान सभाः https://en.wikipedia.org/wiki/Bihar_Legislative_Assembly, अवलोकन दिनाँकः 04/09/2024।

[17] झारखंड विधानसभा आरक्षित सीटेंः झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 28 सीटें आरक्षित

हैं, जो क्रमशः 11.11ः और 34.56ः हैं। (झारखंड विधानसभा सचिवालय, ''विधानसभा सीटों का आरक्षण विवरण,'' 2023)

[18] अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रतिनिधित्वः झारखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई विशेष आरक्षित सीटें नहीं हैं; राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन में इस वर्ग को ध्यान में रखते हैं। (भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2022)

[19] विधानसभा संरचनाः झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिनमें 44 सामान्य श्रेणी के लिए हैं। (झारखंड विधानसभा सचिवालय, 'विधानसभा की संरचना,' 2023)

[20] समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्डः https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/104-scheduled-tribes-welfare, अवलोकन दिनाँक 08/09/2024।